बिहार सरकार

(परिवहन विभाग)

आदेश

वाद संख्या- 01/2017

श्री रणधीर कुमार बनाम् राज्य परिवहन प्राधिकार

पत्रांक-04/एस.टी.ए.-पी.3-128/2015परि0- 6463 पटना, दिनांक- 18.12.17

7

16.10.2017

पुकार पक्ष अनुपस्थित। उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते हैं। जिला पदाधिकारी नालन्दा ने अपने पत्रांक–3267, दिनांक–26.05.2017 द्वारा यह सूचित किया है कि दिनांक 25.05.2017 को संध्या 6.00 बजे पटना से शेखपुरा जानेवाली बस बाबा रथ वाहन संख्या– बी.आर. 21 एल–6221 में हरनौत बाजार के विश्वकर्मा चौक के पास आग लगने से 7 लोगों की मृत्यु बस के अन्दर हो गई। यह बस श्री रणधीर कुमार, पिता श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम+पोस्ट– मुरौरा, थाना– बिहार शरीफ, नालन्दा की थी। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दिया गया है कि बस में अत्यधिक कार्बाइड रहने के कारण आग लगने से यह घटना हुई। वाहन मालिक के विरूद्ध हरनौत थाना में काण्ड दर्ज कराया गया है जिसकी संख्या– 167/17 है।

जिला पदाधिकारी, पटना ने अपने पत्रांक–5713, दिनांक–27.05.2017 के जांच प्रतिवेदन में यह बताया है कि श्री रंधीर कुमार के द्वारा चलाए जा रहे वाहनों यथा– बी.आर.21पी.–4252,बी.आर.21सी.–6221, बी.आर.21डी.–3094, बी.आर.21जी.–6221 एवं बी.आर.21एल.–6221 में अग्निशामक यंत्र/आपातकालीन द्वार की समुचित व्यवस्था नहीं है। आकस्मिकता से निपटने हेतु इन वाहनों में सुरक्षा के उपाय नहीं रहने के कारण इन बसों से यात्रा करनेवाले यात्रियों के व्यापक जान माल के खतरे की प्रबल संभावना बनी रहती है। दुर्घटना के कारण विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न होती है। अपने प्रतिवेदन में उन्होंने यह भी कहा कि श्री रणधीर कुमार के उक्त वाहन के द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के प्रावधानित नियम 135, 136 एवं 137 का उल्लंघन किया है। दोनों जिला पदाधिकारियों ने वाहन मालिक के परमिट को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की अनुशंसा की है।

उपर्युक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि परमिटधारी वाहन स्वामी द्वारा बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 149, 158, 207 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 135 एवं 136 तथा परमिट की शर्तों का उल्लंघन किया है।

वाहन मालिक को अंकित वाहनों के संबंध में यह सूचित किया गया था कि वे दिनांक 31.05.2017 को पूर्वा॰ 11.00 बजे उपस्थित होकर मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 86 के तहत् यह स्पष्ट करें कि उनके वाहनों के संबंध में निर्गत सभी परमिटों को क्यों नहीं रद्द किया जाय।

श्री रणधीर कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता, वाहन मालिक की ओर से उपस्थित हुए एवं उन्होने आवेदन देकर अनुरोध किया कि उक्त नोटिस के आलोक में वे उपस्थित हैं तथा उन्हें जिला पदाधिकारी, पटना एवं जिला पदाधिकारी नालन्दा की अनुशंसा उपलब्ध करायी जाय ताकि वह अपना स्पष्टीकरण समर्पित कर सकें।

उन्हें पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी तथा समय अवधि मांग को स्वीकार करते हुए दिनांक 07.06.2017 को स्पष्टीकरण देने का समय दिया गया। दिनांक–07.06.2017 को वाहनस्वामी के प्रतिनिधि द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उनके स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री रणधीर कुमार के वाहनों यथा– बी.आर.21पी.–4252,बी.आर.21सी.–6221, बी.आर.21डी.–3034, बी.आर. 21जी.–6221 एवं बी.आर.21एल.–6221 में अग्निशामक यंत्र/आपातकालीन द्वार की समुचित व्यवस्था नहीं है। आकस्मिकता से निपटने हेतु इन वाहनों में सुरक्षा के उपाय नहीं किये गये है। वाहनों मे प्रतिबंधित सामग्री का परिवहन किया जा रहा था। इसी लापरवाही एवं नियमों के उल्लंघन के कारण वाहन संख्या–BR-21L-6221 में हरनौत बाजार के विश्वकर्मा चौक के पास आग लगा, जिसमें सात लोगों की मृत्यु बस के अन्दर हो गई । स्पष्ट है कि श्री रंधीर कुमार के वाहनों द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के प्रावधानित नियम 135, 136 एवं 137 का उल्लंघन किया है। अतः जिला पदाधिकारी के द्वारा लगाये गये आरोप खंडित नहीं होते हैं ।

उपरोक्त विवेचन से यह स्थापित होता है कि वाहन मालिक के उपरोक्त वाहन परमिट की शर्त्तों एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 और बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के सुसंगत नियमों का उल्लघंन करते हुए परिचालित किये जा रहे थे । अतः इनके परमिट को रद्द किया जाना नियमसंगत होगा ।

दुर्घटनाग्रस्त वाहन संख्या– BR-21L-6221 का परमिट संख्या–03/2015 को रद्द किया जा चुका है।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में उल्लेखित है कि " जिस परिवहन प्राधिकार ने परमिट दिया है वह परमिट की शर्तों के उल्लघंन के आलोक में स्पष्टीकरण प्राप्त कर परमिट रद्द कर सकेगा।"

अतः परमिट संख्या–208/2014 से आच्छादित वाहन संख्या BR-21D-3094 एवं परमिट संख्या–35/2015 से आच्छादित वाहन संख्या BR-21G-6221 को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख स्वीकृति हेतु राज्य परिवहन प्राधिकार को भेजें।

16/11/17

लेखापित एवं संशोधित

राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

वाहनों के परिचालन से पूर्व क्या MVI द्वारा निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है ? पूर्व पृष्ठ अंश 'क' में वर्णित आवश्यक उपायों की भी अवस्था की अनदेखी के लिए क्या सम्बन्धित MVI की जिम्मेदारी नहीं बनती है ?

परमिट रद्द करने की अनुशंसा स्वीकृत की जाती है किन्तु उपरोक्त बिन्दुओं पर भी समाधान आवश्यक होगा।

1/11/17

अध्यक्ष-सह-सचिव, राजस्व पर्षद
एवं
अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार

ज्ञापांक-04/एस.टी.ए.-पी.3-128/2015 6463/पटना, दिनांक- 18.12.17

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/गया/मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा/सभी मोटरयान निरीक्षक, पटना/सभी मोटरयान निरीक्षक, नालंदा/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, पटना/नालंदा/आई.टी. मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित :- 6. श्री रणधीर कुमार, पिता–श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, पता–ग्राम+पोस्ट–मुरौरा, थाना– बिहार शरीफ, जिला–नालंदा–803101 को सूचनार्थ प्रेषित।

18/12

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

V.N.18